न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबूलाल बनाम उमराव मु.नं.– 80/24 किस्म – T.B.	
	उपस्थित। अप्रार्थी सं. 03,05,07 की तामील विधिवत रूप से हो चुकी है। तामील उपरान्त पर्याप्त समय के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र T.B. पेश नहीं किया गया है। अतः इनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 08,09,09 की तामील रजि. डाक रसीद पेश की। प्रा.पत्र T.B. पर बहस हेतु उभय पक्ष वकील द्वारा निवेदन किया। प्रा.पत्र T.B. पर उभय पक्ष वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.B दिनांक 22.7.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	22.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा.पत्र T.B. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली प्रवीनुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.B. दिनांक 29.7.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	29.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबूलाल ....बनाम.......... उमराव मु.नं.– 80/24 किस्म – T.E.	
	जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
80/2024	04.12.2024	29.07.2025

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र उमराव, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. उमराव पुत्र सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. धम्मन राम पुत्र सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. लक्ष्मण पुत्र सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. गुलीचन्द पुत्र सुमरत्या, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. छोटीदेवी पत्नी रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. मोहनलाल पुत्र रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. मुकुन्द बिहारी पुत्र रामकरण, निवासी ईशरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. उप पंजीयक मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मुकेश सिंह, श्री महेश सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री प्रदीप चौधरी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. 15 के खसरा सं. 530 रकबा 0.04 हैक्टे., 695 रकबा 0.22 हैक्टे., कुल किता 02, कुल रकबा 0.26 हैक्टे. एवं खाता सं. 16 के खसरा सं. 531 रकबा 0.16 हैक्टे., 540 रकबा 0.20 हैक्टे., 541 रकबा 0.29 हैक्टे., 545 रकबा 0.30 हैक्टे., 675 रकबा 0.25 हैक्टे. कुल किता 5, कुल रकबा 1.20 हैक्टे., एवं खाता सं. 17 के खसरा सं. 532 रकबा 0.06 हैकटे., 535 रकबा 0.05 हैक्टे., 536 रकबा 0.25 हैक्टे., 542 रकबा 0.18 हैक्टे., 678 रकबा 0.01 हैक्टे., 679 रकबा 0.01 हैक्टे., कुल किता 6 कुल रकबा 0.56 हैक्टे. एवं खाता सं. 21 के खसरा सं. 536/782 रकबा 0.07 हैक्टे., 607 रकबा 0.24 हैक्टे., 638 रकबा 0.63 हैक्टे., 643 रकबा 0.39 हैक्टे., 644 रकबा 0.59 हैक्टे., 646 रकबा 0.13 हैक्टे., 676 रकबा 0.03 हैक्टे., 677 रकबा 0.05 हैक्टे., 694 रकबा 0.39 हैक्टे., कुल किता 09, कुल रकबा 0.52 हैक्टे. एवं खाता सं. 22 के खसरा सं. 645 रकबा 0.08 हैक्टे. एवं खाता सं. 25 के खसरा सं. 528 रकबा 0.05 हैक्टे., 609 रकबा 0.01

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हैक्टे., 703 रकबा 0.06 हैक्टे., कुल किता 3 कुल रकबा 0.12 हैक्टे. एवं खाता सं. 50 के खसरा सं. 534 रकबा 0.33 हैक्टे., 539 रकबा 0.20 हैक्टे., 612 रकबा 0.23 हैक्टे., 639 रकबा 0.21 हैक्टे., कुल किता 4 कुल रकबा 0.97 हैक्टे., समस्त भूमि वाके ग्राम ईसरीखेडा, पटवार हल्का रीदली, तहसील मण्डावर में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण है व रिश्ते में पिता, पुत्र है जिनका सजरा निम्नानुसार है –

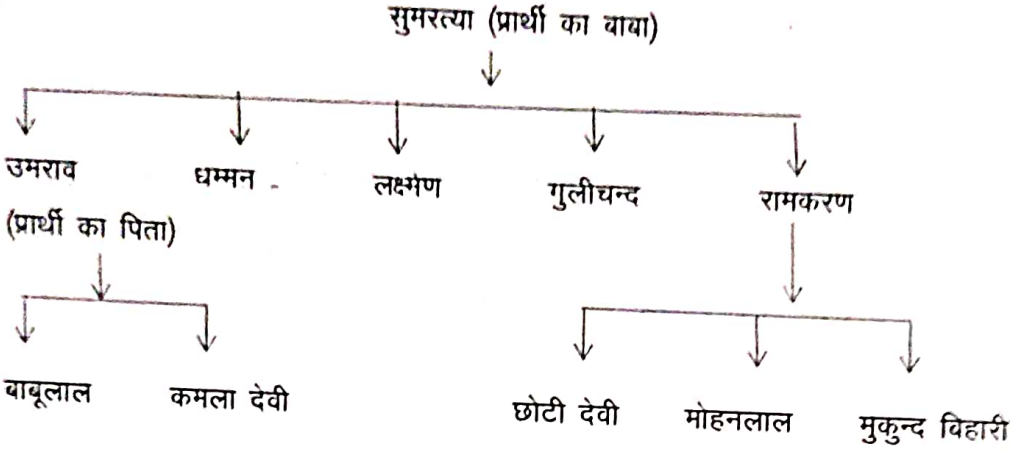

प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 आराजी मुतनजा पर संयुक्त कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 उमराव की कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है जो मृतक सुमरत्या से विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजीयात अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी में चली आ रही है जो पैतृक आराजी हैं। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र है जिससे प्रार्थी का पैतृक आराजी होने से आराजी में वाई वर्थ कानूनी हक हकूक है। प्रार्थी की एक बहिन कमला है जिसका विवाह जसराम मीना निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के साथ हो गया है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के पास नहीं रहकर प्रार्थी की बहिन कमला देवी के पास गांव नांगल सुमेर सिंह में ही रहता है तथा प्रार्थी से दूरी बनाकर रहता है तथा प्रार्थी से नफरत करता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को खूब लाड प्यार दिया है तथा अच्छे से रखा है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपने पास अपने गांव ईशरीखेडा आने को कहता है लेकिन आने को तैयार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी की बहिन एवं बहनोई ने अपने बहकावे में ले रखा है तथा मेरे बहिन बहनोई के मन में बदयान्ति आ जाने से अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजी को अपने नाम करवाना चाहती है तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाहती है। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 प्रार्थी की आराजी को आये दिन डोल मेड तोडते रहते हैं, अपना खेत को बढ़ाते रहते हैं तथा झगडा फसाद करने पर आमादा रहते हैं एवं प्रार्थी की बहिन कमला देवी एवं पिता अप्रार्थी सं. 1 से मिले हुये हैं। अप्रार्थी सं. 1 मेरी बहिन कमला के ससुराल में रहने का अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 बखूबी फायदा उठा रहे हैं। जब मैने यह बात मेरे पिता अप्रार्थी सं. 1 से कहा कि अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 7 खेतों की डोल मेढों को आये दिन तोडते रहते है तथा उनसे तकासमा के बारे में कहा तो उन्होंने तकासमा कराने से इन्कार कर दिया। तब अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि मुझे उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है और नाही तुमसे है, मैं मेरी सम्पूर्ण आराजी को मेरी पुत्री कमला के नाम कराऊंगा तथा भूमि का कानूनी बंटवारा भी नही कराऊंगा। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की बहिन कमला व उसके पति के बहकावे में पूर्ण रूप से है तथा प्रार्थी की एक भी बात मानने को तैयार नही है तथा प्रार्थी को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बोने जोतने से मना करता है जबकि प्रार्थी के पूर्वजों की पैतृक आराजी है जिस पर प्रार्थी का बाई बर्थ कानूनी अधिकार है जबकि अप्रार्थी सं. 1 बहिन कमला के बहकावे में आकर सम्पूर्ण आराजी का हकत्याग, रहन बेचान करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी के भी छोटे–छोटे बच्चे है। यदि अप्रार्थी नंबर 1 उक्त आराजी का रहन, बेचान कर देगा तो प्रार्थी का परिवार भूखा मर जायेगा एवं अपने कानूनी हक हकूकों से वंचित हो जावेगा। दिनांक 02.12.2024 को प्रार्थी अपने पैतृक आराजी जो अपने हिस्से में आई आराजी पर फसल की देखभाल करने गया था परन्तु अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 डोलमेढ तोडकर अपने खेतों में मिला रहे थे तो प्रार्थी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे तो यह हमारा खेत है, आप लोग हमारे खेतों की डोलमेढ को क्यों तोड रहे हो, आपने हमारे खेतों की डोलमेट तोडकर अपने खेतों में मिला ली है और हमारे खेतों का एरिया कम कर दिया है। यदि आपके मन में बहम हो तो आप तहसील कार्यालय में चलकर उक्त भूमी का कानूनी तकास्मा करवा लेते हैं जिस पर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 एकदम से भडक गये और ऐलानिया धमकी दे कहने लगे कि हम तो ऐसे ही डोल मेढ तोडेगें, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। हमारी मर्जी होगी, वहां होकर डोलमेढ करेगें तथा तकास्मा कराने से इन्कार कर दिया। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से उक्त घटना के बारे में बताया तो अप्रार्थी सं. 1 ने भी उसकी बात नहीं मानी तथा उक्त आराजी को रहन, बेचान करने पर आमादा है जिससे अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। सायल ने पैतृक आराजी में निहित हकों का न तो किसी भी प्रकार से त्याग किया और न ही किसी प्रकार से छोड़ा है। आराजी वादग्रस्त में प्रार्थी को पैतृक हक हकूक आज भी सुरक्षित एवं निहित हैं। अप्रार्थी सं. 1 सीधा सादा व्यक्ति है जिसकी बहिन कमला हॉस्पीटल कामां, जिला भरतपुर में नर्स के पद पर है एवं बहनोई जसराम एयरफोर्स में अधिकारी है जो प्रार्थी को धमकी देते रहते हैं कि हम तुझे जमीन का एक इंच भी नहीं लेने देवें व पूरी जमीन को उमराव से हमारे नाम करवा लेगें तथा अप्रार्थी सं. 1 को उन्होंने अपने बहकावे में ले रखा है तथा सम्पूर्ण भूमि को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। आराजी वादग्रस्त में निहित हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। अप्रार्थीगण अपने नापाक मन्सूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी। प्रार्थी अपनी पैतृक आराजी में निहित हक हकूकों से हमेशा के लिये महरूम हो जावेगा जिसकी पूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण लाना लाजमी आया है। प्रार्थी के अभी छोटे–छोटे बच्चे व गृहणी महिला है, उनके पास इस आराजी के अलावा कोई आय का जरिया नहीं है। विनाय प्रार्थना पत्र एवं विनाय मुखास्मत दिनांक 02.12.2024 को गैरसायलान द्वारा कानूनी बंटवारा कराने से इन्कार करने एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रहन, बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने के कारण ग्राम ईशरीखेडा तहसील मण्डावर में पैदा हुआ है। अतः अर्ज है कि अप्रार्थीगण को तादौराने दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की खातेदारी में से प्रार्थी के हिस्से में आयी आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत, व राज़स्व रिकॉर्ड में फेरबदल, रहन, बेचान न तो स्वयं करें, ना अन्य से करावें। प्रार्थी को फसल शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.12.2024 को अप्रार्थी सं. 02, 04, 06 द्वारा न्यायालय में उपस्थिति के बाबजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री प्रदीप चौधरी ने अंडरटेकिंग दी। दिनांक 19.12.2024 को प्रार्थी की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी सं. 01 लगायत 09 ग्राम ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 530, 695, 531, 540, 541, 545, 675, 532, 535, 536, 542, 678, 679, 536/782, 607, 638, 643, 644, 646, 676, 677, 694, 645, 528, 609, 703, 534, 539, 612, 639 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2, 4, 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर जबाव बंद करने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2, 4, 6 का जबाव अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 3, 5, 7, 8, 9 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर इनके जबाव का अवसर बंद किया गया।

4. अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जो कि विधि के प्रतिकूल है। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है व शुरू से ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी न तो खातेदार है और ना ही विवादित आराजी पर काबिज है। विधि का स्पष्ट सिद्धांत है कि रिकॉर्डेड खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। विवादित आराजीयात अप्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। डोल–मेड तोडने की बात गलत है। प्रार्थी के झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। दिनांक 02.12.2024 को अप्रार्थी द्वारा कोई धमकी नहीं दी गयी है और ना ही अप्रार्थी विवादित आराजीयात को रहन व बेचान कर रहा है। प्रार्थी चालाक व्यक्ति है व दिल्ली पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है। पुलिस में नौकरी का प्रभाव दिखाकर जबरन अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है। अप्रार्थी 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। उक्त आराजी के अलावा उसके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.12.2024 को प्रार्थी को कोई धमकी नहीं दी। इसलिए प्रार्थी का अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई विनाय दावा उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार है व विवादित आराजीयात पर काबिज है। इसलिय प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है तथा भौतिक रूप से काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। यदि न्यायालय द्वारा उसे पाबंद किया जाता है तो प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का तथ्य भी सायल के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थी का जवाब स्वीकार जाकर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निषेधाज्ञा मुझ प्रार्थी उत्तरदाता के रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, ग्राम ईसरीखेडा, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 रिकार्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विवादित आराजीयात बाबत, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए सजरा को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब में स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात है। प्रार्थी/वादी, वाद पत्र के द्वारा विवादित आराजीयात स्वयं के हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिवीजन सं. 1825/2017 उनवान अंकिता वगै. बनाम ताराचंद वगै. में दिनांक 14.06.2017 को पारित निर्णय में अभिधारित किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्रों को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते। इस निर्णय में अभिनिर्धारित सिध्दांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। इस कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही पाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

अप्रार्थी सं. 1, जो कि रिकार्डेड खातेदार है, के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी रखने से अप्रार्थी संख्या 1 को अपने खातेदाती अधिकारों के उपयोग–उपभोग में नुकसान होगा जिससे उसको अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम ईसरीखेडा, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 530, 695, 531, 540, 541, 545, 675, 532, 535, 536, 542, 678, 679, 536/782, 607, 638, 643, 644, 646, 676, 677, 694, 645 528, 609, 703, 534, 539, 612, 639 के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)